


27.08.2024:-पत्रावली पेशी मे ली गई। वादी वकील अनुपस्थित।  
पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन  
पाया वादी अधिवक्ता द्वारा वादपत्र मे कोई कार्यवाही  
नही चाही जा रही है वादी व वादी अधिवक्ता को  
बार-बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के  
उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्थित नही  
आये। वादी व वादी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने  
के कारण वादपत्र वादी अदम पैरवी/अदम हाजरी मे  
खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की  
जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

  
सहायक कलक्टर  
एवं उपखण्डाधिकारी  
हनुमानगढ़

